बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संख्या-11/आ०4-1014/2024- 579 पटना, दिनांक:- 12/03/25

अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किये गए स्थल निरीक्षण के दौरान सोनपुर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या-11, नयागाँव पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या-08 तथा दरियापुर प्रखंड के अकबरपुर पंचायत के वार्ड संख्या-14 में योजना बंद रहने तथा कई वार्डो में बार-बार मोटर जलने, सभी घरों में गृह जल संयोजन नहीं होने, पम्प ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान नहीं करने एवं जलापूर्त्ति योजना के शिकायत निवारण से संबंधित पम्पलेट जलापूर्त्ति केन्द्रों पर प्रदर्शित नहीं पाये जाने के आरोप में विभागीय आदेश संख्या-1828, दिनांक-17.12.2024 द्वारा श्री सीमान्त भूषण, कार्यकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा, प्रशाखा-सोनपुर सम्प्रति निलंबित कार्यकारी सहायक अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया।

02. निलंबन के पश्चात श्री भूषण के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1876, दिनांक-26.12.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भूषण के पत्रांक-शून्य, दिनांक-01.01.2025 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

03. श्री भूषण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सम्यक समीक्षोपरांत प्रतिवेदित आरोप को प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित मानते हुए बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

04. आरोपित श्री सीमान्त भूषण, निलंबित कार्यकारी सहायक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर जाँच संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में लिखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

05. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सहित श्री सीमान्त भूषण, निलंबित कार्यकारी सहायक अभियंता(असैनिक), मुख्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री उत्कर्ष भारती, ~~अधीक्षण~~ कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०4-1014/2024- 579 पटना, दिनांक- 12/03/25

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 2/श्री सीमांत भूषण, निलंबित कार्यकारी सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, गया/विभागीय आई.टी. मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-11/आ०4-1014/2024- 579 पटना, दिनांक- 12/03/25

प्रतिलिपिः-श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०)-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,बिहार पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।